फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मंदिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाईंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई – 400025, ब्रांच ऑफिस जी–9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पुनीत माथुर

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री गोटू सिंह राणावत पुत्र श्री प्रेम सिंह राणावत निवासीः कलालो का मोहल्ला घोसुण्डी मेन रोड के पास तहसील आमेट जिला राजसमंद–313332

– ऋणी एवं मौर्गेजर

2. श्री प्रेम सिंह राणावत पुत्र श्री राम सिंह निवासी घोसुण्डी मेन रोड के पास तहसील आमेट जिला राजसमंद–313332

– सहऋणी एवं मौर्गेजर

पत्रावली संख्या 54 / 2022

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.05.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जी–9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर ने दिनांक 23.02.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी / ऋणी को रूपये 630000 / – अक्षरे छः लाख तीस हजार रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 16.01.2020 को जरिये ऋण अनुबंध संख्या 920030016730736 से उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी / ऋणियों / जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज में एक संपत्ति आवासीय मकान कलालो का मोहल्ला गांव घोसुण्डी पट्टा सं. 40 बुक सं. 2017 / 162 संकल्प सं. 2 मैन रोड के पास ग्राम पंचायत घोसुण्डी पंचायत समिति आमेट जिला राजसमंद जिसका क्षेत्रफल 330 वर्गफीट को बंधक रखा। अप्रार्थी / ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को बैंक के साथ किये गये ऋण अनुबंध के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह	

न्यायालय जिला कलक्टर

से उक्त खाता दिनांक 01.09.2021 को एन पी ए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 729737/– अक्षरे सात लाख उन्नतीस हजार सात सौ सैंतीस रूपये दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को "एक्ट" की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये । परंतु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा संपत्ति का संपूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अंदर–अंदर ऋण राशि रू. 729737/– अक्षरे सात लाख उन्नतीस हजार सात सौ सैंतीस रूपये दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परंतु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाने के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 05.10.2021 को रजिस्टर्ड जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस जी–9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक सम्पति श्री गोटूसिंह राणावत पिता श्री प्रेमसिंह जी राणावत निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमंद की एक संपत्ति आवासीय मकान कलालो का मोहल्ला गांव घोसुण्डी पट्टा सं. 40 बुक सं. 2017/162 संकल्प सं. 2 मैन रोड के पास ग्राम पंचायत घोसुण्डी पंचायत समिति आमेट जिला राजसमंद क्षेत्रफल 330 वर्गफीट को बंधक रखा। जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– **(1) पूर्व मेंः– श्री रामलाल/बालूजी कुमावत का मकान, (2) पश्चिम में :–**

न्यायालय जिला कलक्टर

सामलाती चौक व रास्ता (3) उत्तर में :– श्री समुद्र सिंह राणावत का मकान (4) दक्षिण में :– श्री इन्द्र सिंह राणावत का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)